



45

R - 2243 - II - 16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2016 जिला-शिवपुरी

बादाम सिंह पुत्र श्री गोपीराम
परिहार

निवासी - ग्राम श्योपुरा तहसील
करैरा जिला - शिवपुरी म.प्र.)

..... आवेदक

न्यायालय शिवपुरी द्वारा
प्राप्त दि. 5-7-16

5-7-16

विरुद्ध

- 1- सीताराम पुत्र श्री रघुवर खंगार
- 2- कोमल पुत्र श्री रघुवर खंगार
निवासी - ग्राम श्योपुरा तहसील
करैरा जिला - शिवपुरी म.प्र.)

.....अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार करैरा जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण क्रमांक
71/अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 14.06.2016 के विरुद्ध
मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी-2243-दो/2016

जिला-शिवपुरी

बादाम सिंह विरुद्ध सीताराम खंगार व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-05-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित ।</p> <p>3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार करैरा, जिला-शिवपुरी, के प्रकरण क्रमांक 71/अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 14-06-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी करैरा, जिला-शिवपुरी को दिये गये हैं ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 10-07-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये</p>	<p>(आर.क. जैन) सदस्य 15/5/19</p>